

श्रीमान् आर. एस शर्मा महोदय,

अध्यक्ष TRAI

महानगर दूरसंचार भवन,

जवाहरलाल नेहरू मार्ग,

नई दिल्ली - 110002

विषय :- IUC-TRAI सलाह दस्तावेज जारी रखने के संयोजन में
महोदय,

हमें TRAI की मंशा स्पष्ट नहीं हो रही है कि क्या TRAI को अपने निर्णय " IUC को परणवक्ष " अपर पुनः विचार विमर्श करने की आवश्यकता आन पड़ी। TRAI ने अपनी वेबसाइट पर जो सलाह दस्तावेज दिया है वे सिर्फ IUC को जारी रखने के एक हिस्से पर ही प्रकाश डालते हैं क्योंकि ये दस्तावेज दो साल पहले के निर्णय को परणवक्ष करने के समर्थ प्रत्याशित स्थिति में बदलाव नहीं हुआ है।

3. TRAI ने इस मुद्दे को संबोधित नहीं किया है कि विरासत संचालन नेटवर्क के गैर-अपवॉर्डेशन के परिणामस्वरूप उनका लिए इनाम क्यों बना चाहिए।

TRAI ने दस्तावेजों में कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि ^{IUC} किरास्ता उपग्रह के उच्च ऑप्टिकल शून्य को समाप्त कर देंगे।

IUC दूरसंचार ऑपरटर को IUC के माध्यम से सुनिश्चित साथ के साथ उपभोक्ता पर पुरानी ओवरसीट नेटवर्क को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगी।

अतः TRAI को निम्न लागत और उच्च गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए IUC को पूर्ण निर्धारित निर्णय के साथ अनुमति दे देनी चाहिए।

सधन्यवाद

~~प्रीतम बौरा~~

प्रीतम बौरा

8607774946

जोरहट, आर.आर.एल

एयरपोर्ट के सामने

यसम 785006